समान नागरिक संहिता

विवरण में -

यूसीसी और संविधान -

- गौरतलब है कि संविधान का भाग IV राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करता है, जो देश के शासन के लिए मौलिक हैं किन्तु ये वादेय नहीं हैं।
- इसी के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।

यूसीसी पर संविधान निर्माताओं की कल्पना-

- संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी कि यूसीसी कानूनों का एक समान सेट होगा जो विवाह, तलाक, गोद लेने जैसे मामलों के संबंध में प्रत्येक धर्म के अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों और विरासत को प्रतिस्थापित करेगा।
- संविधान सभा में इस बारे में पर्याप्त बहस हुई थी कि इसे मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए या निर्देशक सिद्धांत के रूप में।
- बहस में भाग लेते हुए बंगाल के सदस्य नज़ीरुद्दीन अहमद ने यह मत व्यक्त किया था कि यूसीसी संविधान के मसौदे (अब अनुच्छेद 25) के अनुच्छेद 19 के आड़े आ जाएगा, जो सार्वजनिक व्यवस्था,

नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।

- हालांकि वह एक समान नागरिक कानून के विचार के खिलाफ नहीं थे। किन्तु उनका तर्क था कि इसके लिए समय अभी उपयुक्त नहीं है और इसकी प्रक्रिया धीरे-धीरे और संबंधित समुदायों की सहमति के बिना नहीं होनी चाहिए।
- इनसे इतर सदस्य के एम मुंशी ने इस धारणा को खारिज किया कि एक यूसीसी धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ होगा क्योंकि संविधान ने सरकार को धार्मिक प्रथाओं से संबंधित धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को, यदि वे सामाजिक सुधार के लिए अभिप्रेत हैं तो उनको शामिल करने वाले कानून बनाने की अनुमति दी है।
- उन्होंने राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देने और महिलाओं के लिए समानता जैसे लाभों को बताते हुए यूसीसी की वकालत की।
- डॉ बी आर अम्बेडकर का यूसीसी के प्रति अधिक उभयनिष्ठ रुख था। उन्होंने महसूस किया कि वांछनीय होते हुए भी, यूसीसी को प्रारंभिक चरणों में "विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक" रहना चाहिए।
- उनके अनुसार इस अनुच्छेद ने प्रस्तावित किया है कि राज्य एक यूसीसी को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, जिसका अर्थ है कि वह इसे सभी नागरिकों पर लागू नहीं करेगा।
- अंततः सरदार वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों पर उप-समिति ने मामले को वोट से सुलझाते हुए 5:4 के बहुमत

के साथ यह फैसला किया कि यूसीसी को मौलिक अधिकारों के दायरे में नहीं रखा जाना चाहिए।

यूसीसी पर विभिन्न तर्क-

- संवैधानिक/कानून विशेषज्ञों का तर्क है कि शायद निर्माताओं का इरादा पूर्ण एकरूपता का नहीं था, यही कारण है कि व्यक्तिगत कानूनों को समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 में रखा गया था, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने की शक्ति दी गई थी।
- भारत में विभिन्न समुदायों के संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानूनों को देखते हुए - हिंदू संहिता विधेयक के अधिनियमित होने के बाद भी सभी हिंदू एक समरूप व्यक्तिगत कानून द्वारा शासित नहीं हैं, न ही मुस्लिम और ईसाई अपने व्यक्तिगत कानूनों के तहत हैं।
- हिंदू संहिता विधेयक का मसौदा तैयार करते समय भी, इसके कई प्रावधानों ने वास्तव में विरासत के महत्व, उत्तराधिकार के अधिकार और तलाक के अधिकार के बीच जटिल संबंधों का पता लगाने की मांग की थी।

हालांकि इसे कई बार संशोधित किया गया और अंत में निम्न चार अलग-अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया -

1. हिंदू विवाह अधिनियम,
2. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम,
3. हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, और

4. हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम

- हालांकि 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह निषिद्ध है, जबकि उन्हें दक्षिण भारत में शुभ माना जाता है।
- यहां तक कि 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने भी कई समझौते किए और 2005 तक बेटी को सहदायिक नहीं बना सके।पत्नियां अभी भी सहदायिक नहीं हैं और न ही उनका उत्तराधिकार में बराबर का हिस्सा है।
- इसी तरह, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ या 1937 में पारित शरीयत अधिनियम की बात आती है, तो यह भी कोई समान रूप से लागू नहीं होता है। उदाहरण के लिए, शरीयत अधिनियम जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं है और मुसलमानों को प्रथागत कानून द्वारा शासित किया जाता है जो देश के बाकी हिस्सों में मुस्लिम पर्सनल लॉ से भिन्न है। मुसलमानों के कुछ संप्रदायों के लिए प्रयोज्यता भी भिन्न होती है।
- इसके अलावा, देश में कई आदिवासी समूह, अपने धर्म की परवाह किए बिना, अपने स्वयं के प्रथागत कानूनों का पालन करते हैं

गोवा एकमात्र उदाहरण-

- गोवा नागरिक संहिता 1867 में पुर्तगालियों द्वारा लागू की गई थी
- यह हिंदुओं के लिए बहुविवाह के एक निश्चित रूप की अनुमति देता है, जबकि मुसलमानों के लिए शरीयत अधिनियम को गोवा में

विस्तारित नहीं किया गया है, राज्य के मुसलमानों को पुर्तगाली कानून के साथ-साथ शास्त्री हिंदू कानून द्वारा शासित किया जाता है।

- यह संहिता कैथोलिकों को भी कुछ रियायतें देती है। कैथोलिकों को अपने विवाह को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और कैथोलिक पादरी चर्च में होने वाले विवाह को भंग भी कर सकते हैं।
- इसी आलोक में 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गोवा को एक भारतीय राज्य के "चमकदार उदाहरण" के रूप में उल्लेखित किया, जिसमें एक कार्यशील यूसीसी है।

यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट-

- समय - समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में यूसीसी को लागू करने का आह्वान किया गया है।
- न्यायालय द्वारा मो अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम 1985 के मामले में तथा 1995 के सरला मुद्गल फैसले के साथ-साथ पाउलो कॉटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ा वेलेंटीना परेरा मामले (2019) में ऐसा ही आह्वान किया गया।

यूसीसी पर विधि आयोग-

- 2018 में, विधि आयोग ने परिवार कानून में सुधार पर 185 पन्नों का परामर्श पत्र प्रस्तुत किया।

OJAANK IAS ACADEMY

- आयोग यह कहते हुए कि धर्मनिरपेक्षता देश में प्रचलित बहुलता का खंडन नहीं कर सकती है, कहा कि एक एकीकृत राष्ट्र को "एकरूपता" की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, "धर्मनिरपेक्षता" शब्द का अर्थ केवल तभी होता है जब यह किसी भी प्रकार के अंतर की अभिव्यक्ति का आश्वासन देता है।
- यह कहते हुए कि एक यूसीसी "इस स्तर पर न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है", रिपोर्ट ने सिफारिश की कि एक विशेष धर्म और उसके व्यक्तिगत कानूनों के भीतर भेदभावपूर्ण प्रथाओं, पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों का अध्ययन और संशोधन किया जाना चाहिए।
- आयोग ने विवाह और तलाक में कुछ उपाय सुझाए जिन्हें सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों में समान रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।
- इनमें से कुछ संशोधनों में लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह योग्य आयु 18 वर्ष तय करना ताकि वे समान रूप से विवाहित हों, व्यभिचार को पुरुषों और महिलाओं के लिए तलाक का आधार बनाना और तलाक की प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है।
- इसने हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को कर-मुक्त इकाई के रूप में समाप्त करने का भी आह्वान किया था।

फाल्कन हेवी रॉकेट का प्रक्षेपण

विवरण में -

- यह इस विशाल रॉकेट प्रणाली का चौथा प्रक्षेपण है और 2019 में इसके अंतिम प्रक्षेपण के बाद से लगभग तीन वर्षों में यह इसका पहला प्रक्षेपण है।
- यह रॉकेट यू एस अंतरिक्ष बल (यूएसएसएफ)-44 नामक एक मिशन में अमेरिकी सेना के लिए उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जा रहा है। इसलिए इसे यू एस सेना के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा अंतरिक्ष प्रक्षेपण की श्रेणी में शामिल किया जा रहा है।

फाल्कन हेवी रॉकेट के बारे में-

- स्पेसएक्स के अनुसार फाल्कन हेवी आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। यह अतिरिक्त थ्रस्ट और लिफ्ट क्षमता के लिए तीन बूस्टर का उपयोग करता है।
- लगभग 64 मीट्रिक टन की कक्षा में उठाने की क्षमता के साथ, फाल्कन हेवी अगले निकटतम परिचालन वाहन, डेल्टा IV हेवी के दोगुने से अधिक पेलोड उठा सकता है।
- रॉकेट की ऊंचाई 70 मीटर, चौड़ाई 12.2 मीटर और द्रव्यमान 1,420,788 किलोग्राम है। फाल्कन हेवी में 27 मर्लिन इंजन हैं जो एक साथ लिफ्ट-ऑफ पर पांच मिलियन पाउंड से अधिक जोर उत्पन्न करते हैं, यह पूरी शक्ति से लगभग अठारह 747 विमानों के बराबर।

- यह इसे उड़ने वाला सबसे सक्षम राकेट बनाता है। रॉकेट पूरी तरह से भरी हुई 737 जेटलाइनर के बराबर, यात्रियों, सामान और ईंधन के साथ कक्षा में ले जा सकता है।
- मर्लिन अपने फाल्कन 1, फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी लॉन्च वाहनों पर उपयोग के लिए स्पेसएक्स द्वारा विकसित रॉकेट इंजनों का एक परिवार है।
- मर्लिन इंजन गैस-जनरेटर शक्ति चक्र में रॉकेट प्रणोदक के रूप में RP-1 और तरल ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। स्पेसएक्स के अनुसार, इन इंजनों को पुनर्प्राप्ति और पुन: उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ईडब्ल्यूएस कोटा

आपको क्यों पता होना चाहिए?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रवेश और सरकारी नौकरियों में अनारक्षित श्रेणियों के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103 वें संविधान संसोधन अधिनियम, 2019 को वैधानिक माना गया।

विवरण में -

- चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एस रवींद्र भट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला की पांच जजों की

संविधान पीठ ने 3-2 के फैसले में कहा कि संबंधित संशोधन के प्रावधान संविधान का उल्लंघन नहीं करते हैं।

- अपने फैसले में न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि 103वां संविधान संशोधन वैध है और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है।
- न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा कि आरक्षण नीति पर फिर से विचार करने की जरूरत है और इसकी एक समयावधि होनी चाहिए।
- न्यायमूर्ति पारदीवाला ने आरक्षण नीति की फिर से जांच करने की आवश्यकता पर न्यायमूर्ति त्रिवेदी से सहमत होते हुए संशोधन को वैध ठहराते हुए कहा कि आरक्षण अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता।
- हालांकि, न्यायमूर्ति भट्ट ने बहुमत के फैसले से असहमति जताई और कहा कि एससी/एसटी/ओबीसी के गरीबों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ उठाने से वंचित करना भेदभावपूर्ण है।
- मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने भी न्यायमूर्ति भट्ट से सहमत होते हुए बहुमत के फैसले पर असहमति जताई।

तीन व्यापक प्रश्नों पर विचार -

ईडब्ल्यूएस कोटा की वैधता पर फैसला सुनाते समय, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने निम्न तीन व्यापक प्रश्नों पर विचार किया था:

1. क्या आर्थिक मानदंडों पर आधारित कोटा मान्य है?

• संविधान किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के आधार पर तरजीही व्यवहार की अवधारणा के बारे में बात नहीं करता है।

इसलिए पीठ ने निम्न पर विचार किया:

- क्या संविधान द्वारा आर्थिक मानदंडों पर आधारित आरक्षण की अनुमति है?
- यदि अनुमति दी जाती है तो क्या यह संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध जाएगा?

2. क्या 103वां संशोधन संविधान का उल्लंघन है?

अदालत ने दो पहलुओं से 103वें संशोधन द्वारा संविधान के संभावित उल्लंघन की जांच की:

- गैर सहायता प्राप्त निजी संस्थानों में प्रवेश के संबंध में राज्य को विशेष प्रावधान करने की अनुमति देना
- एसईबीसी (सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग)/ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग)/एससी (अनुसूचित जाति)/एसटी (अनुसूचित जनजाति) को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के दायरे से बाहर करना।

3. 50% कोटा कैप मुद्दा-

- पीठ ने यह भी विचार किया कि क्या इंद्रा साहनी के फैसले में आरक्षण पर 50% की सीमा तय की गई है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।

केंद्र की दलील-

- गरीब वर्ग को 10% कोटा देने से अन्य श्रेणियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में 2.1 लाख से अधिक सीटों के सृजन को मंजूरी दी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईडब्ल्यूएस कोटा एससी/एसटी और ओबीसी को प्रभावित नहीं करता है।
- 103वें संशोधन ने अपने नागरिकों को आर्थिक न्याय सुनिश्चित करके संविधान के मूल ढांचे को मजबूत किया।

ईडब्ल्यूएस कोटा को चुनौती देने वाली याचिकाओं में क्या कहा गया?

- आर्थिक मानदंड आरक्षण देने का आधार नहीं हो सकते।
- अगड़े वर्ग को आरक्षण देना "संविधान के साथ धोखाधड़ी" है।

क्या है 103वां संशोधन?

- विधेयक को जनवरी, 2019 में संसद में पेश किया गया था और बाद में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने से पहले लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था।

OJAANK IAS ACADEMY

- यह सरकारी और साथ ही निजी शैक्षणिक संस्थानों (अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर) में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है।
- यह सरकारी नौकरियों में रोजगार के लिए समान आरक्षण का भी प्रावधान करता है।

मध्य पूर्व हरित पहल

आपको क्यों पता होना चाहिए?

हाल ही में सऊदी अरब द्वारा मध्य पूर्व हरित पहल के लिए $2.5 बिलियन देने का वचन दिया गया।

विस्तार से -

- सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अनुसार राज्य अगले 10 वर्षों में मध्य पूर्व में हरित पहल के लिए 2.5 बिलियन डॉलर का योगदान देगा, और इसके मुख्यालय की मेजबानी करेगा।
- गौरतलब है कि मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव पिछले साल क्राउन प्रिंस द्वारा क्षेत्रीय कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था।

OJAANK IAS ACADEMY

- सऊदी अरब ने पिछले साल कहा था कि उसने फंड की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवश्यक $10.4 बिलियन में से 15% का योगदान करने का लक्ष्य रखा है।
- उन्होंने यह भी कहा कि राज्य का सार्वजनिक निवेश कोष, 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखेगा।
- मध्य पूर्व हरित पहल का लक्ष्य क्षेत्रीय हाइड्रोकार्बन उत्पादन से कार्बन उत्सर्जन को 60% से अधिक कम करना है।
- यह मध्य पूर्व में 50 अरब पेड़ लगाने और 200 मिलियन हेक्टेयर भूमि के बराबर क्षेत्र को बहाल करने की भी योजना बना रहा है। इस पहल से वैश्विक कार्बन स्तर को 2.5% तक कम करने में मदद मिलेगी।
- सऊदी अरब ने 2030 तक अपने 50% बिजली उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने की योजना बनाई है।

मध्य पूर्व हरित पहल के बारे में-

- यह अंतरराष्ट्रीय स्थिरता प्रयासों के लिए सऊदी अरब की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- यह एक महत्वाकांक्षी रोड मैप को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर इस क्षेत्र को ग्रह की रक्षा करने में मदद हेतु आगे करेगा जो वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- यह कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय वैश्विक कमी प्राप्त करने और दुनिया में सबसे बड़ा वनीकरण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए

क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सऊदी अरब के समन्वय और ज्ञान हस्तांतरण को बढ़ाता है।

- पहले मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट की मेजबानी क्राउन प्रिंस ने 25 अक्टूबर, 2021 को रियाद में की थी।
- इसने जलवायु पर अपनी तरह के पहले क्षेत्रीय संवाद की सुविधा प्रदान की।
- इसमें शामिल नेताओं ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक साथ काम करने और मध्य पूर्व हरित पहल के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयन योजनाओं को विकसित करने के लिए समय-समय पर शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमत व्यक्त की।
- सऊदी अरब ने ग्रीन इनिशिएटिव फाउंडेशन की भी स्थापना की है, जो सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव और मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव उद्देश्यों के कार्यान्वयन को समर्थन और सुनिश्चित करने के लिए एक गैर-लाभकारी संगठन है।

OJAANK IAS ACADEMY